

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश
लेखाओं का अंकक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016

भाग—एक

1 प्रस्तावना

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (ग)(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा (A)3-3/85-पार्ट-II दिनांक 17.1.1989 के दृष्टिगत, मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई के अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 के लेखाओं का अंकक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा किया गया।

(ख) मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक समूह शाहतलाई में अंकक्षणाधीन अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 के दौरान निम्नलिखित अधिकारी उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) घुमारवीं एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास के पद पर कार्यरत रहे:-

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री राजीव कुमार	1.1.2015 से 29.4.2015
2	श्री शशी पाल शर्मा	5.5.2015 से 14.6.2015
3	श्री आर०आर० पटियाल	15.6.2015 से 30.11.2015
4	श्री आदित्य नेगी	1.12.2015 से 31.12.2016

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई के अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 तक के अंकक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार निम्नलिखित है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ लाखों में
1	6 (ख)	मन्दिर न्यास द्वारा सावधि जमा योजना में निवेशित राशि पर प्राप्त में से आय कर की कटौती की वसूली न करना	1.18
2	10	आयुक्त भविष्य निधि संगठन शिमला द्वारा मन्दिर न्यास के विरुद्ध आदेश पारित करने पर ब्याज के रूप में भुगतान बारे	3.31

3	11	मन्दिर न्यास द्वारा कर्मचारियों को मेला भतो/त्यौहार भत्ते का अनियमित भुगतान	2.72
4	12 (क, ख)	मन्दिर न्यास द्वारा वेतन एवं भत्तों के रूप में अधिक भुगतान	1.14
5	17	मन्दिर न्यास द्वारा डिपॉजिट कार्य करवाने हेतु विभिन्न विभागों के पास जमा राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	33.56
6	18	मन्दिर न्यास द्वारा अध्यक्ष मन्दिर/उपमण्डलाधिकारी को दी गई अग्रिम राशि का समायोजन न करना	2.00

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनुच्छेदों/पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन वर्तमान अंकेक्षण के दौरान समीक्षा करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क" पर दर्शाई गई है। अंकेक्षण के दौरान यह देखने में आया है कि मन्दिर न्यास द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे के लिए ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जोकि अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः मन्दिर न्यास द्वारा इन पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई के अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरा/अनुच्छेदों पैरों में दिए गए हैं, श्री चम्बेल सिंह परमार, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) तथा श्री पुनीत शर्मा आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 24.7.2017 से 29.8.2017 के दौरान शाहतलाई में किया गया। आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 4/2015, 4/2016 तथा व्यय के लिए माह 5/2015, 1/2016 के लेखाओं का चयन किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण मन्दिर प्रशासन द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं के आधार पर किया गया है। मन्दिर न्यास द्वारा किसी प्रकार की अधूरी अथवा गलत सूचना प्रदान करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई के अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 के लेखाओं के वर्तमान अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹51200 किया गया। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला-171009 भेजने हेतु सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) की अध्याचना संख्या 241 दिनांक 29.8.2017 द्वारा प्रभारी मन्दिर न्यास से आग्रह किया गया। मन्दिर न्यास द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित शाखा शाहतलाई (117) के बैंक ड्राफ्ट संख्या 033377 दिनांक 6.9.2017 द्वारा प्रेषित किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

(क) मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई के अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ख" में भी दिया गया है।

क्र०सं०	विवरण	2015	2016
1	प्रारम्भिक शेष (₹)	64654285	71622634
2	वर्ष के दौरान बचत खातों पर प्राप्त ब्याज	266399	365026
3	वर्ष के दौरान सावधि जमा योजना में निवेशित राशि पर प्राप्त ब्याज	—	24182741
4	वर्ष के दौरान प्राप्त आय	25042730	33655547
5	कुल जमा राशि (₹)	89963414	129825948
6	वर्ष के दौरान व्यय की गई	18340780	25097239
7	अन्तशेष (₹)	71622634	104728709

(ख) बैंक समाधान विवरणिका:-

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष	104728709
जमा:- दिनांक 31.12.2016 को रोकड़ बही में दर्ज व्यय हेतु जारी किए गए	(+) 20388
चैक जोकि बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये	
जमा:- बैंक द्वारा अधिक क्रेडिट/जमा की गई राशि	(+) 62
माईनस:- गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014 के अनुसार रोकड़ बही में सिक्कों की राशि दर्ज की गई परन्तु बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं की गई	(-) 17400
शुद्ध राशि (₹)	104731759
दिनांक 31.12.2016 को बैंक व सावधि जमा योजना में निवेशित राशि (₹)	104731759

(i) दिनांक 31.12.2016 को मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई के बैंक बचत खाता व सावधि जमा योजना में निवेशित राशि का विवरण निम्नलिखित है

क्र०सं० **खाता संख्या** **बैंक का नाम** **31.12.2016 को शेष राशि (₹)**

1	5066101000494	केनरा बैंक तलाई	3576008
2	11710100297	हि०प्र० सहकारी बैंक तलाई	895184
3	11513239525	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तलाई	192017
4	11010125810	हि०प्र० सहकारी बैंक घुमारवीं	86132
5	265500010090822	पंजाब नैशनल बैंक जड्डू	473957
6		31.12.2016 को सावधि जमा योजना में निवेशित राशि	99508461
		कुल राशि	₹104731759

(ii) दिनांक 18.1.2016 को पंजाब नैशनल बैंक जड्डू द्वारा अधिक क्रेडिट/जमा राशि (₹) 50

दिनांक 2.5.2016 को बिल संख्या 111 के भुगतान के सम्बन्ध में बैंक द्वारा चैक संख्या 42425 द्वारा कम भुगतान राशि (₹) 12

योग (₹) 62

(iii) दिनांक 31.12.2016 को रोकड़ बही में दर्ज व्यय से सम्बन्धित निम्नलिखित चैक जारी किए गए परन्तु यह चैक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए:-

क्र०सं०	दिनांक	चैक संख्या	राशि (₹)
1	17.7.2014	293225	3000
2	26.7.2014	693454	3885
3	23.8.2014	693455	7213
4	15.12.2014	693895	840
5	3.12.2014	824813	840
6	23.1.2015	694414	800
7	14.10.2016	RTGS	2000
8	14.10.2016	RTGS	1810
		योग	₹20388

नोट:- मन्दिर न्यास द्वारा रोकड़ बही में व्यय से सम्बन्धित चैक जारी किए गए थे परन्तु बैंक में भुगतान हेतु निर्धारित सीमा/समय में यह चैक आहरित नहीं हुये। अतः उपरोक्त विवरणानुसार 3 माह से पूर्व अवधि के जारी चैकों को आवश्यक कार्रवाई उपरान्त रोकड़ बही में वापिस जमा किया जाये क्योंकि अब इन चैकों को बैंक द्वारा देय अवधि समाप्त हो चुकी है।

5 सोने चांदी का विवरण

मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अंकेक्षण अवधि 1.1.2015 से 31.12.2016 तक प्राप्त सोने एवं चांदी की स्थिति निम्नलिखित है, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ग" में दिया गया है।

(क) सोना

क्र०सं०	विवरण	किलो	ग्राम	मिलीग्राम
1	दिनांक 1.1.2015 को प्रारम्भिक शेष	—	145	050
2	वर्ष 2015 की प्राप्ति	—	10	090
3	वर्ष 2016 की प्राप्ति	—	0	0
4	शिव मन्दिर बच्छरेटू से हस्तांतरित/प्राप्त		13	440
5	दिनांक 31.12.2016 को अन्तशेष		168	580

(ख) चांदी

क्र०सं०	विवरण	किलो	ग्राम	मिलिग्राम
1	दिनांक 1.1.2015 को प्रारम्भिक शेष	6	672	310
2	वर्ष 2015 की प्राप्ति	—	270	800
3	वर्ष 2016 की प्राप्ति	—	131	700
4	शिव मन्दिर बच्छरेटू से प्राप्त/ हस्तांतरित	1	363	500
5	दिनांक 31.12.2016 को अन्तशेष	8	438	310

6 सावधि निवेश

(क) मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि के अन्त तक दिनांक 31.12.16 को ₹99508461 सावधि जमा योजना में निवेशित की गई थी, जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "घ" में दिया गया है। अतः सावधि जमा में निवेशित राशियों को उनकी परिपक्वता तिथि को बैंक से भुनाना/पुनः निवेशित किया जाना सुनिश्चित करें।

(ख) मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक समूह शाहतलाई द्वारा करवाई गई निवेशित राशियों पर प्राप्त ब्याज में से विभिन्न बैंकों द्वारा स्रोत पर काटे गये टीडीएस (TDS) की ₹1.18 लाख की वसूली न करने बारे:-

अंकेक्षण में जाँच के दौरान यह पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्नविवरणानुसार विभिन्न बैंकों में राशियाँ निवेशित की गई थी तथा निवेशित राशियों की परिपक्वता की तिथि पर सम्बन्धित बैंकों द्वारा टीडीएस काटा गया, परन्तु विभिन्न बैंकों द्वारा काटे गये टीडीएस की राशि को वापिस मन्दिर न्यास खातों में जमा नहीं किया गया था। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि न्यास द्वारा सम्बन्धित बैंकों से सम्पर्क करते हुये स्रोत पर काटे गये टीडीएस की राशि की वसूली हेतु समुचित कदम उठाये।

क्र०सं०	एफ०डी०आर० सं०	परिपक्वता दिनांक	परिपक्वता राशि जो ब्याज सहित प्राप्त की जानी थी (₹)	राशि जो बैंक द्वारा ब्याज सहित दर गई (₹)	डी०टी०एस० कटौती राशि (₹)	बैंक का नाम
1	9430019	8.4.2015	1004588	995694	8894	पंजाब नैशनल बैंक जड्डू
2	443028	7.8.2015	5006563	4983982	22581	—यथोपरि—
3	712342	17.5.2015	2381107	2378316	2791	भारतीय स्टेट बैंक तलाई
4	01630	1.5.2016	3234847	3232603	2244	पंजाब नैशनल बैंक जड्डू शाखा
5	1667	16.5.2016	3238408	3235075	3333	—यथोपरि—
6	2286	25.10.2016	3225392	3211559	13833	—यथोपरि—
7	4275	6.11.2016	3540874	3524824	16050	—यथोपरि—
8	4406	13.11.2016	2360583	2352747	7836	—यथोपरि—

9	6042	7.10.16	5398908	5377721	21187	—यथोपरि—
10	712342	17.5.16	2574366	2554761	19605	भारतीय स्टेट बैंक शाखा तलाई

कुल ₹118354

7 विदेशी मुद्रा

(क) मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई द्वारा दिनांक 26.7.2016 से 31.12.2016 तक निम्नलिखित विदेशी मुद्रा को विनिमय हेतु बैंक नहीं भेजा गया। अतः मन्दिर न्यास उपरोक्त अवधि की विदेशी मुद्रा को बैंक में विनिमय (Exchange) हेतु भेजना सुनिश्चित करें।

क्र० सं०	दिनांक	विदेशी मुद्रा का नाम	नोट/सिक्को की संख्या	नोट संख्या	विदेशी मुद्रा रजिस्टर/ अभिलेख पेज सं०
1	26.7.2016	यूनाइटेड अरब अमीरात	20 दीनार	6G4514676	18
			5 दीनार	074679221	18
		कतार सैन्ट्रल बैंक	10 रियाल	1/79 VO & ETV	18
2	12.9.2016	सैन्ट्रल बैंक ऑफ ओमान	100 ओमान	2/44 9EAOT9	18
		बैंक ऑफ भूटान	5 निगूलिटरम	J12281129	18
3	30.9.2016	बैंक ऑफ भूटान	20 निगूलिटरम	L03937090	18
			3 रियाल	नोट संख्या अंकित नहीं थी	18
			10 रियाल	80	18
4	19.10.2016	बैंक ऑफ मलेशिया	1 रिगरिट	DL 2699927	18
			1 रिगरिट	CG 5881652	18
			1 रिगरिट	CX 7465211	18
5	4.11.2016	कतार सैन्ट्रल बैंक	10 रियाल SAMA	224798	18
			10 रियाल	913481	18
6	21.1.2016	सऊदी अरब अमीरात	6 रियाल	नोट संख्या अंकित नहीं थी	18
7	8.12.2016	कतार सैन्ट्रल बैंक	1 रियाल	626657	18
8	8.12.2016	जुआंग रिमान विनाग	1 युआन	1994	18
9	16.12.2016	सैन्ट्रल बैंक ऑफ ओमान	500 बियसा	नोट संख्या अंकित नहीं थी	18

10	30.12.2016	सऊदी अरबियन मोनटेरी एजैन्सी	5 रियाल	464-106489	18
		कतर सैन्ट्रल बैंक	1 रियाल	9/<EOJETA	18
		सैन्ट्रल बैंक ऑफ ओमान	1 रियाल	>/A TOVVAT	18

(ख) बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा का कम क्रेडिट दिए जाने बारे:-

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई के अवधि 1/2015 से 12/2016 के अंकेक्षण के दौरान विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्न विवरणानुसार दानस्वरूप प्राप्त विदेशी मुद्रा को केनरा बैंक की शाहतलाई शाखा में विनिमय (Exchange) हेतु जमा करवाया गया, परन्तु बैंक द्वारा जमा करवाई गई विदेशी मुद्रा का विनिमय करके मन्दिर न्यास को कम क्रेडिट दिया गया। अतः इस सन्दर्भ में सम्बन्धित बैंक से यह प्रकरण उठाकर कम क्रेडिट की गई विदेशी मुद्रा का विनिमय करवाकर अपेक्षित राशि का क्रेडिट लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र०सं०	विदेशी मुद्रा का नाम	न्यास द्वारा बैंक को भेजी गई मुद्रा सं०	बैंक द्वारा क्रेडिट मुद्रा संख्या	अन्तर
1	USA Doller	447	446	1
2	Sudi Arb Riyal	2	1	1
3	Central Bank of omin (Baisa)	100	-	100
4	Bank of Butain (Nigcolitrium)	5	-	5
5	Bank of Vidilibin (vidlibin)	100	-	1000

8 फटटे पुराने/कण्डम नोट

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई में वर्ष 2015-2016 में प्राप्त कण्डम नोटों का विवरण निम्नलिखित है:-

वर्ष 2015		वर्ष 2016	
माह/वर्ष	प्राप्त कण्डम नोट राशि	माह/वर्ष	प्राप्त कण्डम नोट राशि
1 / 2015	105	1 / 2016	165
2 / 2015	120	2 / 2016	240

3 / 2015	810	3 / 2016	510
4 / 2015	642	4 / 2016	680
5 / 2015	556	5 / 2016	680
6 / 2015	590	6 / 2016	480
7 / 2015	345	7 / 2016	610
8 / 2015	232	8 / 2016	845
9 / 2015	505	9 / 2016	230
10 / 2015	429	10 / 2016	432
11 / 2015	210	11 / 2016	295
12 / 2015	292	12 / 2016	310
योग	₹4836		₹5477
दिनांक 1.1.2015 तक कण्डम नोटों का प्रारम्भिक शेष			₹6580
वर्ष 2015 में प्राप्त कण्डम नोट राशि			₹4836
वर्ष 2016 में प्राप्त कण्डम नोट राशि			₹5477
शिव मन्दिर बच्छरेटू से प्राप्त कण्डम नोट			₹6518
		योग	₹23411

मन्दिर न्यास द्वारा कार्यालय पत्र संख्या टी0टी0बी0बी0एन0 तलाई 447 दिनांक 4.10.2016 को दिनांक 31.8.2016 तक प्राप्त कण्डम नोटों (6580+4836+4210+6518=22144) को कैनरा बैंक शाखा शाहतलाई को बदलने हेतु भेजा गया। बैंक द्वारा दिनांक 13.11.2016 को कण्डम नोटों को बदलकर ₹21204 मन्दिर न्यास के खाता संख्या 5066101000464 में जमा कर दी गई जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है। परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा दिनांक 1.9.2016 से 31.12.2016 में प्राप्त कण्डम नोट (230+432+295+310=1267) को बदला नहीं गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि इन पुराने नोटों को भी बदलने हेतु मन्दिर समूह द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा पुराने नोटों को बदलकर प्राप्त राशि को मन्दिर समूह खाते में जमा किया जाये अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

9 शिव मन्दिर बच्छरेटू को मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई में शामिल करना:-

भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्या एल0सी0डी0-एफ (6) 8/2008 शिमला दिनांक 2.4.2016 के आदेश अनुसार शिव मन्दिर बच्छरेटू को मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ समूह तलाई के साथ पाँचवे मन्दिर/स्थान पर जोड़ा गया है। शिव मन्दिर बच्छरेटू को हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की अनुसूची में शामिल किया गया है। मन्दिर न्यास द्वारा उक्त पत्र की अनुपालना में कार्रवाई करते हुये शिव मन्दिर बच्छरेटू से निम्नलिखित विवरणानुसार रोकड़ बही से प्राप्त राशि, सोना चाँदी, विदेशी मुद्रा, कण्डम नोट व अन्य सामग्रियों को प्राप्त किया गया तथा सम्बन्धित रजिस्ट्रों में प्रविष्टियाँ इन्द्राज कर दी गई जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है

क्र०सं०	विवरण	राशि/मात्रा
1	सावधि जमा योजना में निवेशित राशि (₹)	6207057
2	बचत खाता संख्या 732 से प्राप्त राशि (₹)	958280
3	बचत खाता संख्या 5592 से प्राप्त राशि (₹)	34050
4	सोना	13 ग्राम 440 मिलिग्राम
5	चाँदी	1 कि०ग्रा० 363 ग्राम 500 मि०ग्रा०
6	कण्डम नोट	₹6518
7	विदेशी मुद्रा	₹55923.50
8	थालियाँ स्टील	300 नग
9	गिलास स्टील	204 नग
10	कटोरी	86 नग
11	पंखा	15 नग
12	महिला सूट	153 नग
13	कम्बल व दरी	25 नग

10 सहायक भविष्य निधि आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन शिमला द्वारा श्री बाबा बालक नाथ जी मन्दिर समूह शाहतलाई के विरुद्ध आदेश पारित करने पर ब्याज के रूप में ₹3.32 लाख का भुगतान

कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 के प्रावधान सभी मन्दिर न्यासों में लागू है जिनकी अनुपालना से मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ जी शाहतलाई द्वारा अपने नियमित दैनिक भोगी/कान्स्ट्रैक्ट कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान व नियोक्ता शेयर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रतिमाह देय तिथि से पूर्व जमा किया जाना अपेक्षित था। लेकिन मन्दिर न्यास के आहरण एवं संवितरण अधिकारी मन्दिर प्रभारी व अन्य कर्मचारियों की चूक के कारण मन्दिर न्यास के कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान व नियोक्ता शेयर प्रतिमाह देय तिथि से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में जमा नहीं किया गया। मन्दिर न्यास अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 के प्रावधानों की अनदेखी करने के परिणामस्वरूप सहायक भविष्य निधि आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एस0डी0ए0 कम्पलैक्स कसुम्पटी द्वारा मन्दिर न्यास के कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान व नियोक्ता हिस्से पर जमा करने पर RRC No. HPSML 302/0003355/10.4.2015/504/35-703 दिनांक 10.4.2015 प्रतिलिपि परिशिष्ट "ड" पर संलग्न है। द्वारा ब्याज की ₹331951 जमा करने के आदेश पारित किए थे। उपरोक्त राशि को मन्दिर न्यास द्वारा बिल संख्या 59 दिनांक 21.4.2015 व डीडी नं0 32477 दिनांक 21.4.2015 ₹331951 द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय शिमला-9 में जमा किया गया था।

उपरोक्त मामला मुख्य आयुक्त मन्दिर न्यास एवं आयुक्त मन्दिर न्यास के ध्यान में इस आशय के साथ लाया जाता है कि इस प्रकरण की न्यास स्तर पर जाँच करके स्थिति स्पष्ट की जाए व उत्तरदायी के विरुद्ध उचित विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त भुगतान से सम्बन्धित भुगतान वाउचर सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु पारित नहीं किया गया था। जिसके बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा आवश्यक कार्यवाही अब पूर्ण करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 मन्दिर न्यास के कर्मचारियों को मेला भत्ता/त्यौहार मानदेय के रूप में ₹2.72 लाख का अनुचित भुगतान:-

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ मन्दिर समूह शाहतलाई द्वारा अपने कर्मचारियों को वर्ष 2015 व वर्ष 2016 के दौरान मेला भत्ता त्यौहार (दीपावली, लोहड़ी) भत्ता/मानदेय के रूप में निम्न विवरणानुसार ₹271700 का भुगतान किया गया था, जोकि उप-सचिव भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या ए0सी0डी0बी0-2-9/94-1 दिनांक 21.12.2010 के अनुसार देय नहीं था। अतः वर्ष 2015 व वर्ष 2016 के दौरान भुगतान ₹271700 की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

क्र०सं०	बिल/वा०सं०	दिनांक	मेले/त्यौहार का विवरण	भुगतान की गई राशि (₹)
1	10	1.2.2015	लोहड़ी भत्ता 2015	6700
2	114	3.6.2015	मेला 2015	96000
3	253	10.11.15	दीपावली 2015	65000
4	24	2.2.16	लोहड़ी 2016	6500
5	161	3.6.16	मेला 2016	97500
योग				₹271700

12 ₹1.14 लाख का वेतन एवं भत्तों के रूप में अधिक भुगतान

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ जी शाहतलाई के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं एवं वेतन से सम्बन्धित भुगतान वाउचरों की जाँच करने पर ₹114225 के अधिक एवं अनुचित भुगतान के मामले एवं अन्य अनियमिततायें पाई गई जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

(क) श्री सुखदेव सिंह, कनिष्ठ सहायक का ₹5910-20800+2800 ग्रेड पे के वेतनमान में दिनांक 30.9.2012 के मूल वेतन ₹10170+2800 ग्रेड पे = ₹12970 था वित्त विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या फिन (पी0आर0)-बी (7)-64-2010 दिनांक 24.9.2012 द्वारा दिनांक 1.10.2012 से पद/पवर्ग बार संशोधित वेतनमानों के अनुसार श्री सुखदेव सिंह कनिष्ठ सहायक का वेतन दिनांक 1.10.2012 व लेखाकर के पद पर दिनांक 25.9.2015 से पदोन्नति पर निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया था।

दिनांक 30.9.2012 को कनिष्ठ सहायक के पद पर ₹10170+2800=12970
 ₹5910-₹20800+2800 ग्रेड पे के वेतनमान में वेतन
 दिनांक 1.10.2012 से पद/पर्वग वार संशोधित वेतनमान ₹10830+3600=₹14330
 ₹10300-34800+3600 ग्रेड पे में वेतन निर्धारण
 1.10.2013 वार्षिक वेतन वृद्धि ₹11270+3600=₹14870
 1.10.2014 वार्षिक वेतन वृद्धि ₹11720+3600=15320
 25.9.2015 लेखाकार के पद पर पदोन्नति पर ₹11720+4400=16120
 ₹10300-34800+4400 ग्रेड पे के वेतनमान में वेतन निर्धारण
 1.10.2015 वार्षिक वेतन वृद्धि ₹12180+3600=15780
 1.10.2015 वार्षिक वेतन वृद्धि के उपरान्त लेखाकार के पद पर ₹12660+4400=17060
 वेतन निर्धारण
 1.10.2016 वार्षिक वेतन वृद्धि ₹13180+4400=17580

वित्त विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की दिनांक 24.9.2012 की उपरोक्त अधिसूचना
 जिसके द्वारा पद/पर्वग वार वेतनमान संशोधित किये गये थे द्वारा जारी दिशा निर्देशों के
 अनुसार श्री सुखदेव कनिष्ठ सहायक/लेखाकार का वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जाना
 अपेक्षित था।

दिनांक 30.9.2012 को कनिष्ठ सहायक के वेतनमान ₹10170+2800=12970
 ₹5910-20200+2800 ग्रेड पे में वेतन
 दिनांक 1.10.2012 को पद/पर्वग वार कनिष्ठ ₹10300+3600=₹13900
 सहायक के संशोधित वेतनमान
 ₹10300-34800+3600 ग्रेड पे में वेतन निर्धारण
 1.10.2013 वार्षिक वेतन वृद्धि ₹10300+420=10720+3600=₹14320
 1.10.2014 वार्षिक वेतन वृद्धि ₹10720+430=11150+3600=14750
 25.9.2015 को लेखाकार के पद पर ₹11150+4400=15550
 ₹10300-34800+4400 ग्रेड पे के वेतनमान में
 पदोन्नति उपरान्त वेतन निर्धारण
 1.10.2015 कनिष्ठ सहायक के पद पर वार्षिक वेतन 11150+450=11600+3600=15200
 वृद्धि
 1.10.2015 लेखाकार के पद पर वार्षिक वेतन वृद्धि 11600+460=12060+4400=16460
 के उपरान्त वेतन निर्धारण
 1.10.2016 वार्षिक वेत वृद्धि 12060+500=12560+4400=16960

उपरोक्त विवरणानुसार नियमों के विरुद्ध वेतन निर्धारित करके श्री सुखदेव लेखाकार को परिशिष्ट "च" दिये गये विवरणानुसार ₹70861 का अधिक/अनुचित भुगतान किया गया है जिसका नियमों की पुष्टि करते हुये औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की सम्बन्धित कर्मचारी का पुनः वेतन निर्धारित करके वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ख) वित्त विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या फिन (पी0आर0)—बी (7)—64/2010 दिनांक 27.9.2012 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के पद/पर्वग वार वेतनमान संशोधित किए गये थे। अधिसूचना के अनुसार यह वेतनमान उन्हीं पदों/पर्वग के लिए लागू थे जिन्हें उपरोक्त अधिसूचना में शामिल किया गया था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास के पुजारियों के वेतन उपरोक्त अधिसूचना के आधार पर संशोधित किए गये थे जबकि मन्दिर न्यास के पुजारियों के वेतन उपरोक्त अधिसूचना के आधार पर संशोधित नहीं किए जा सकते थे क्योंकि पुजारियों के पद/पर्वग उपरोक्त अधिसूचना में शामिल नहीं थे। उपरोक्त अधिसूचना के आधार पर अनियमित रूप से पुजारियों का वेतन निर्धारित करके उन्हें निम्न विवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया है।

(1) श्री जोगिन्द्र सिंह पुजारी की नियुक्ति दिनांक 1.11.2010 को ₹4900—10680+1650 ग्रेड पे के वेतन मान में की गई थी दो वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर उन्हें दिनांक 1.11.2012 से अनियमित रूप से ₹4900—10680+1800 ग्रेड पे का वेतनमान स्वीकृत किया गया था। ₹4900—10680+1800 ग्रेड पे के वेतनमान में वेतन निर्धारित करके श्री जोगिन्द्र सिंह पुजारी को निम्नानुसार भुगतान किया गया था।

दिनांक 31.10.2012 को वेतन	₹5510+1650=7160
1.11.2012 वार्षिक वेतनवृद्धि एवं दो वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर ₹4900—10680+1800 ग्रेड पे में वेतन निर्धारण	₹5510+220=5730+1800=7530
1.11.2013 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹5730+230=5960+1800=7760
1.11.2014 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹5960+240=6200+1800=8000
1.11.2015 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹6200+240=6440+1800=8240
1.11.2016 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹6440+250=6690+1800=8490

जबकि श्री जोगिन्द्र सिंह पुजारी को निम्नानुसार 1.11.2012 के पश्चात वेतन का भुगतान किया जाना था।

दिनांक 31.10.2012 को वेतन	₹5510+1650=7160
1.11.2012 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹5510+220=5730+1650=7380
1.11.2013 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹5730+230=5960+1650=7610
1.11.2014 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹5960+230=6190+1650=7840
1.11.2015 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹6190+240=6430+1650=8080
1.11.2016 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹6430+250=6680+1650=8330

उपरोक्त विवरणानुसार श्री जोगिन्द्र सिंह पुजारी को नियमों के विरुद्ध लाभ प्रदान किए जाने के कारण उन्हें निम्न विवरणानुसार ₹18736 का अधिक भुगतान किया गया है।

अवधि	देय वेतन				भुगतान किया वेतन				अन्तर x माह	अधिक भुगतान
	मूल वेतन (₹)	महंगाई भत्ता (₹)	आई आर (₹)	जोड (₹)	मूल वेतन (₹)	महंगाई भत्ता (₹)	आई आर (₹)	जोड (₹)		
1.11.12 से 31.12.12	7380	5314	—	12694	7530	5422	—	12952	258x2	516
1.1.13 से 30.6.13	7380	5904	—	13284	7530	6024	—	13554	270x6	1620
1.7.13 से 31.10.13	7380	6642	—	14022	7530	6777	—	14307	285x4	1140
1.11.13 से 31.12.13	7610	6849	—	14459	7760	6984	—	14744	285x2	570
1.1.14 से 30.6.14	7610	7610	—	15220	7760	77760	—	15520	300x6	1800
1.7.14 से 31.10.14	7610	8143	—	15753	7760	803	—	16063	310x4	1240
1.11.14 से 31.2.14	7840	8389	—	16229	8000	8560	—	16560	331x2	662
1.1.15 से 30.6.15	7840	8859	—	16699	8000	9040	—	17040	341x6	2046
1.7.15 से 31.10.15	7840	9330	—	17170	8000	9520	—	17520	350x4	1400

1.11.15 से	8080	9615	—	17695	8240	9806	—	18046	351x2	702
31.12.15										
1.1.16 से	8080	10100	—	18180	8240	10300	—	18540	360x6	2160
30.6.16										
1.7.16 से	8080	10504	—	18584	8240	10712	—	18952	368x1	368
31.7.16										
1.8.16 से	8080	10504	404	18988	8240	10712	412	19364	376x3	1128
31.10.16										
1.11.12 से	8330	10829	417	19576	8490	11037	425	19952	276x9	3384
31.7.17										

जोड़ 18736

(2) श्री राकेश कुमार पुजारी का वेतन दिनांक 31.8.2014 को ₹5510+1650=7160 था श्री राकेश कुमार को दिनांक 1.9.2014 से उपरोक्त अधिसूचना के आधार पर ₹4900—10680+1800 ग्रेड पे के वेतनमान में अनियमित रूप से पद/पर्वग वार संशोधित वेतनमानों में वेतन निर्धारित करके उन्हें निम्न प्रकार से भुगतान किया गया था।

दिनांक 30.6.2014 को ₹4900—10680+1650 ₹5510+1650=7160

ग्रेड पे के वेतनमान में वेतन

दिनांक 1.7.2014 को पद/पर्वग वार 7530

संशोधित वेतनमान ₹4900—10680+1800

ग्रेड पे में वेतन निर्धारण

1.9.2014 वार्षिक वेतन वृद्धि ₹5510+220=5730+1800=7530

1.9.2015 वार्षिक वेतन वृद्धि ₹5730+230=5960+1800=7760

1.9.2016 वार्षिक वेतन वृद्धि ₹5960+240=6200+1800=8000

जबकि श्री राकेश कुमार को निम्न विवरणानुसार वेतन का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

दिनांक 30.6.2014 को वेतन ₹5510+1650=7160

1.9.2014 वार्षिक वेतन वृद्धि ₹5510+220=5730+1650=7380

1.9.2015 वार्षिक वेतन वृद्धि ₹5730+230=5960+1650=7610

1.9.2016 वार्षिक वेतन वृद्धि ₹5960+230=6190+1650=7840

श्री राकेश कुमार पुजारी को नियमों के विरुद्ध लाभ प्रदान किए जाने के कारण उन्हें निम्न विवरणानुसार ₹12587 का अधिक भुगतान किया गया है।

अवधि	देय राशि				भुगतान राशि				अन्तर x माह	अधिक भुगतान
	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	आई आर	जोड़	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	आई आर	जोड़		
1.7.14 से 31.8.14	7160	7661	—	14821	7310	7822	—	15122	301x2	602
1.9.14 से 31.12.14	7380	7897	—	15277	7530	8057	—	15587	310x4	1240
1.1.15 से 30.6.15	7380	8339	—	15719	7530	8509	—	16039	320x6	1920
1.7.15 से 31.8.15	7380	8782	—	16162	7530	8961	—	16491	329x2	658
1.9.15 से 31.12.15	7610	9056	—	16666	7760	9234	—	16994	328x4	1312
1.1.16 से 30.6.16	7610	9513	—	17123	7760	9700	—	17460	337x6	2022
1.7.16 से 31.7.16	7610	9893	—	17503	7760	10088	—	17848	345x1	345
1.8.16 से 31.8.16	7610	9893	381	17884	7760	10088	388	18236	352x1	352
1.9.16 से 31.7.17	7840	10192	392	18424	8000	10400	400	18800	376x11	4136

जोड़ 12587

(3) श्री सरवन कुमार पुजारी का वेतन 31.7.2014 को ₹4900—10680+1650 ग्रेड पे के वेतनमान में ₹7840+1650=9490 था उन्हें दिनांक 1.8.2014 से पद/पर्वग वार उपरोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत अनियमित रूप से ₹4900—10680+1800 का वेतन प्रदान करके उनका वेतन निम्न प्रकार से निर्धारित करके उन्हें भुगतान किया गया था

दिनांक 31.7.2014 को ₹4900—10680+1650 के ₹7840+1650=9490 वेतनमान में वेतन

दिनांक 1.8.2014 वार्षिक वेतन वृद्धि एवं ₹7840+290=8130+1800=9930 4900—10680+1800 ग्रेड पे के वेतनमान में वेतन निर्धारण

1.8.2015 वार्षिक वेतन वृद्धि ₹8130+300=8430+1800=10230

1.8.2016 वार्षिक वेतन वृद्धि ₹8430+310=8740+1800=10540

जबकि श्री सरवन कुमार को निम्न विवरणानुसार वेतन का भुगतान किया जाना था।

दिनांक 31.7.2014 को वेतन	₹7840+1650=9490
1.8.2014 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹7840+290=8130+1650=9780
1.8.2015 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹8130+300=8430+1650=10080
1.8.2016 वार्षिक वेतन वृद्धि	₹8430+310=8740+1650=10390

श्री सरवन कुमार पुजारी को नियमों के विरुद्ध लाभ प्रदान किए जाने के कारण उन्हें निम्न विवरणानुसार ₹12041 का अधिक भुगतान किया गया है।

अवधि	देय राशि				भुगतान राशि				अन्तर x माह	अधिक भुगतान
	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	आई आर	जोड	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	आई आर	जोड		
1.8.14 से 31.12.14	9780	10465	—	20245	9930	10625	—	20555	310x5	1550
1.1.15 से 30.6.15	9780	11051	-	20831	9930	11221	-	21151	320x6	1920
1.7.15 से 31.7.15	9780	11638	-	21418	9930	11817	-	21747	329x1	329
1.8.15 से 31.12.15	10080	11995	-	22075	10230	12174	-	22404	329x5	1645
1.1.16 से 30.6.16	10080	12600	-	22680	10230	12788	-	23018	338x6	2028
1.7.16 से 31.7.16	10080	13104	-	23184	10230	13299	-	23529	345x1	345
1.8.16 से 31.7.17	10390	13507	520	24417	10540	13702	527	24769	352x12	4224

जोड़ 12041

उपरोक्त मामले में मन्दिर न्यास के पुजारियों को पद/पर्वग वार संशोधित वेतनमानों के अन्तर्गत वेतन निर्धारित करके लाभ प्रदान करने बारे नियमों की पुष्टि करते हुये औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन पुजारियों का नियमानुसार पुनः वेतन निर्धारित करके भविष्य में भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अधिक भुगतान राशि की वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अध्याचना संख्या सं0नि0/ले0प0-238 दिनांक 21.8.17 द्वारा अध्यक्ष मन्दिर न्यास के ध्यान में लाया गया था लेकिन अध्यक्ष मन्दिर न्यास द्वारा उपरोक्त अनियमितता बारे कोई उत्तर नहीं दिया गया।

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.29 लाख का अनुचित भुगतान :-

मै0 धीमान शटर एण्ड बैल्डिंग वर्कस शाहतलाई को बिल संख्या 69 दिनांक 7.5.15 के विरुद्ध चैक संख्या 121885 दिनांक 8.5.15 द्वारा ₹29000 का भुगतान 10 नं0 साईन बोर्ड क्रय करने पर किया गया था। भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि उपरोक्त क्रय के सम्बन्ध में कोई भी औपचारिकता पूर्ण नहीं की गई थी। भुगतान वाउचर भी भुगतान हेतु पारित नहीं किया गया था। औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा वाउचर को भुगतान हेतु पारित किए बिना ₹29000 का भुगतान करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए उपरोक्त भुगतान का सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित किया जाए।

14 संविदाकार को ₹0.06 लाख का अधिक भुगतान व अंकेक्षण के दौरान राशि की वसूली:-

कार्य का नाम:- श्री बाबा बालक नाथ जी मन्दिर शाहतलाई में विश्राम स्थली का निर्माण करना

संविदाकार का नाम:- श्री लच्छू राम

अर्वाड पत्र संख्या टीटीवी एन/वर्कस/2010-305 दिनांक 31.8.2015

अनुबन्ध राशि:- ₹865546

समय सीमा:- 6 माह

उपरोक्त कार्य के प्रथम चल बिल का भुगतान चैक संख्या 123506 दिनांक 10.11.15 द्वारा ₹441772 व द्वितीय चलत बिल का भुगतान चैक संख्या 287193 दिनांक 2.5.2016 द्वारा ₹367631 के लिए किया गया था। उपरोक्त बिलों की विस्तृत जाँच करने पर निम्न अनियमिततायें एवं ₹6399 के अधिक भुगतान के मामले प्रकाश में आये जिनका विवरण निम्न प्रकार से है।

(क) उपरोक्त कार्य के प्रथम चलत बिल की मद संख्या 2/4 द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग माईलड/टौर स्टील इत्यादि से सम्बन्धित किए गये कार्य की कुल मात्रा 2558.27 कि0ग्राम0 का भुगतान ₹64.50 प्रति कि0ग्राम0 (-) 10.80 प्रतिशत रिबेट की दर से मापन पुस्तिका संख्या 1/13 पृष्ठ 67 पर किया गया था उपरोक्त कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ

मापन पुस्तिका संख्या 1/13 पृष्ठ 63 पर की गई गणना के अनुसार गणना में गलती के कारण कार्य मात्रा 2537.18 कि०ग्रा० के स्थान पर 2558.27 कि०ग्रा० दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 21.09 कि०ग्रा० कार्य मात्रा के लिए ₹57.53 (64.50 (-) 10.80 प्रतिशत) की दर से ₹1213 का अधिक भुगतान किया गया।

(ख) प्रथम चलत बिल की मद संख्या 2/3 द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग आर०सी०सी० 1:1½:3 एग्रीगेट स्टोन 20 एमएम इत्यादि से सम्बन्धित किए गये कार्य की कुल मात्रा 23.65 घन मी० का भुगतान ₹5700 प्रति घन मी० (-) 10.80 प्रतिशत रिबेट की दर से माप पुस्तिका संख्या 1/13 पृष्ठ 67 पर किया गया था। उपरोक्त कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 1/13 पृष्ठ 63 व 64 पर की गई थी अवलोकन करने पर पाया गया कि मापन पुस्तिका के पृष्ठ 63 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टि $1 \times 10.30 \times 0.23 = 0.54$ घन मी० व मापन पुस्तिका के पृष्ठ 64 पर की गई रिकार्ड प्रविष्टि $1 \times 9.15 \times 0.23 \times 0.23 = 0.48$ घन मी० के सम्बन्ध में उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित इसी मापन पुस्तिका के पृष्ठ 58 व 59 पर किये गये फोर्म वर्क में रिकार्ड प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी न ही यह दर्शाया गया था कि यह कार्य कहाँ किया गया है। फोर्म वर्क के बिना किया गया आर०सी०सी० 1:1½:3 से सम्बन्धित किया गया कार्य उचित प्रतीत नहीं होता। अतः फोर्म वर्क के बिना किए गये उपरोक्त कार्य का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा 1.02 घन मी० (0.54 घन मी० + 0.48 घन मी०) कार्य मात्रा की ₹5084 (5700—10.80 प्रतिशत) प्रतिघन मी० की दर से ₹5186 की वसूली सुनिश्चित की जाए।

उपरोक्त प्रकरण प्रभारी मन्दिर न्यास के ध्यान में अंकेक्षण के दौरान लाए जाने पर उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ₹6399 (₹1213+₹5186) की वसूली करके राशि मन्दिर न्यास के कैनरा बैंक खाता संख्या 494 में दिनांक 24.8.2017 को जमा कर दी गई जिसकी अंकेक्षण के दौरान पुष्टि कर ली गई। भविष्य में इस तरह की अनियमितता न दोहराये जाने बारे उचित कदम उठाये जाये तथा आन्तरिक जाँच को सुदृढ़ किया जाए।

15 मन्दिर न्यास द्वारा ₹0.02 लाख कम जमा करने बारे:—

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई के अवधि 1/2015 से 12/2016 के अंकेक्षण के दौरान दान की रसीदों की जाँच में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार रसीदों से प्राप्त आय को रसीद रजिस्टर रोकड़ बही व बैंक में जमा नहीं किया गया जोकि गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर कम जमा ₹2600

की वसूली चूककर्ता से करके मन्दिर निधि खाता संख्या 494 दिनांक 29.8.17 को जमा करवा दी गई, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर दी गई। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में मन्दिर न्यास में आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए ताकि इस प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके।

क्र०सं०	दिनांक	कूपन/रसीद संख्या	प्रति रसीद मूल्य राशि (₹)	(₹)
1	16.5.16	बिना संख्या	100	100
2	16.2.16	2761 से 2765	500	2500
		योग		₹2600

16 ₹2304 का अधिक भुगतान:—

(क) श्री बाबा नाहर सिंह टैक्सी आपरेटर यूनियन को चैक संख्या 121887 दिनांक 12.5.2015 द्वारा ₹48244 का भुगतान मेलों के दौरान वाहन संख्या बोलेरो एच पी 01 बी-0948 को किराये पर लेने हेतु निम्नविवरणानुसार किया गया था।

दिनांक 13.3.15 से 14.4.15 तक मासिक किराया	32000
अतिरिक्त कि०मी० 2369—1500=869x10.10	8776
रात्री ठहराव 32x120	3840
वेटिंग चार्जिज निर्धारित सीमा से अतिरिक्त 8 घण्टेx33=264x14.50	3828
(प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे सांय 6 बजे से सांय 10 बजे तक)	
दिनांक 14.4.2015 के अतिरिक्त चार्जिज ₹790x1	790
जोड	49234
यूनियन द्वारा न्यास के दानस्वरूप देय राशि	1000
48234	
गणना में गलती	10
भुगतान राशि	48244

उपरोक्त प्रकरण में श्री बाबा नाहर सिंह टैक्सी आपरेटर यूनियन को सचिव मेला समिति एवं तहसीलदार के पत्र संख्या टी वी वी एन/तलाई-161 दिनांक 5.3.2015 द्वारा दिनांक 13.3.2015 सायं को वाहन किराये पर उपलब्ध करवाने हेतु आदेश दिया था तथा उपरोक्त वाहन को दिनांक 13.4.2015 अपराहन में अध्यक्ष मन्दिर न्यास एवं एस०डी०एम० घुमारवीं द्वारा मन्दिर न्यास कार्य से भारमुक्त कर दिया था जिसके अनुसार वाहन के किराये का भुगतान जिलाधीश बिलासपुर द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार निम्न प्रकार से किया जाना अपेक्षित था।

दिनांक 13.3.15 सांय से 13.4.15 अपराहन तक एक मास का किराया	₹32000
रात्री ठहराव 31x120	₹3720
वेटिंग चार्जिज 31x8=248 घंटे x14.50 प्रति घंटा	₹3596
अतिरिक्त कि०मी० 2369 कि०मी०—1500कि०मी०=869x10.10	₹8776
जोड	48092
यूनियन द्वारा न्यास को दान स्वरूप देय राशि	1000
	₹47092

उपरोक्त विवरणानुसार श्री बाबा नाहर सिंह टैक्सी आपरेटर यूनियन को वाहन संख्या एच०पी०वी को मेलों के दौरान किराये पर लेने पर किए गये भुगतान में ₹1152 (48244—₹47092) का अधिक भुगतान किया गया था।

(ख) श्री बाबा नाहर सिंह टैक्सी आवरेटर यूनियन से मेलों के दौरान वाहन संख्या बलोरो एच०पी० 01 बी 0955 को किराये पर लेने पर निम्न विवरणानुसार चैक संख्या 121888 दिनांक 12.5.2015 द्वारा ₹55718 का भुगतान किया गया था।

13.3.15 से 14.4.15 तक एक मास का किराया	₹32000
अतिरिक्त दिन 13.4.15	₹790
रात्री ठहराव 32x120	₹3840
वेटिंग चार्जिज 33x8 घंटे=264x14.50	₹3828
अतिरिक्त कि०मी० 3109 कि०मी०—1500कि०मी०=1609x10.10	₹16250
जोड	56708
गणना में गलती	10
योग	₹56718
यूनियन द्वारा दान न्यास को स्वरूप देय राशि	1000
देय भुगतान	55718

उपरोक्त वाहन को सचिव मेला समिति एवं तहसीलदार द्वारा दिनांक 13.3.2015 सांय मेला समिति एवं तहसीलदार द्वारा दिनांक 13.3.2015 सांय को उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया था तथा दिनांक 13.4.2015 अपराहन में उपरोक्त वाहन को मन्दिर न्यास के कार्य से भारमुक्त कर दिया था जिसके अनुसार उपरोक्त वाहन के किराये का भुगतान निम्न प्रकार से किया जाना अपेक्षित था।

दिनांक 13.3.15 से 13.4.15 तक एक मास का किराया	₹32000
अतिरिक्त कि०मी० 3109 कि०मी०-1500कि०मी०=1609x10.10	₹16250
रात्री ठहराव 31x120	₹3720
वेटिंग चार्जिज 8x31=248x14.50	₹3596
कुल राशि	₹55566
यूनियन द्वारा न्यास को दान स्वरूप देय राशि (-)	₹1000
भुगतान योग्य राशि	54566

उपरोक्त विवरणानुसार ₹54566 के स्थान पर ₹55718 का भुगतान किए जाने के फलस्वरूप श्री बाबा नाहर सिंह टैक्सी आपरेटर यूनियन को ₹1152 (₹55718-₹54566) का अधिक भुगतान किया गया था।

उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण के दौरान मन्दिर प्रभारी के ध्यान में लाये जाने पर उनके द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये ₹2304 अधिक भुगतानों के विरुद्ध मन्दिर न्यास के पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 822 में दिनांक 23.8.2017 को जमा कर दी गई जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई।

17 मन्दिर न्यास द्वारा डिपाजिट कार्य करवाने के लिए विभिन्न विभागों के पास जमा की गई ₹33.56 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना:-

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक बालक नाथ समूह शाहतलाई के अवधि 1./2015 से 12./2016 के अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों व सम्बन्धित कार्यों के अभिलेख की जाँच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा डिपाजिट कार्य करवाने के लिए दिनांक 31.12.2016 तक ₹3356139 विभिन्न विभागों के पास जमा की गई जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "छ" में दिया गया है। मन्दिर न्यास द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के विरुद्ध जमा की गई उक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए हैं। अतः अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 मन्दिर न्यास द्वारा अध्यक्ष मन्दिर को दी गई अग्रिम ₹2.00 लाख का समायोजन न करना:-

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई के अवधि 1./2015 से 31./2016 के दौरान अग्रिम राशियों के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा अध्यक्ष मन्दिर न्यास एवं उपमण्डलाधिकारी (ना) घुमारवीं को दिनांक 31.12.2016 तक अग्रिम ₹200000 (गरीब लड़कियों की शादी पर दी गई आर्थिक सहायता)

के रूप में भुगतान की गई जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ज" में दिया गया है। परन्तु न्यास द्वारा इस राशि का समायोजन नहीं किया गया था जोकि अनियमित है। अतः अग्रिम राशि का समायोजन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस राशि का अविलम्ब समायोजन करना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में भी अग्रिम रूप में गई राशियों का समायोजन नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 मन्दिर न्यास के लंगर से सम्बन्धित पाई गई अनियमितताओं के बारे में:-

(क) मन्दिर न्यास द्वारा श्रद्धालुओं से दानस्वरूप प्राप्त विभिन्न वस्तुओं को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने बारे:-

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई द्वारा अवधि 1/2015 से 12/2016 के दौरान श्रद्धालुओं से रसीदों के माध्यम से दानस्वरूप प्राप्त निम्नलिखित सामग्री/वस्तुओं को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः श्रद्धालुओं द्वारा दी गई विभिन्न सामग्रियों को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए अन्यथा दर्ज न की गई सामग्रियों की बाजारी मूल्य के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी/चूककर्ता से वसूली करके अपेक्षित राशि मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाई जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र०सं०	माह/वर्ष	दिनांक	रसीद सं०	सामग्री	मात्रा
1	3/2015	15.3.2015	634	नमक	2 कि०ग्रा०
2	3/2015	27.3.2015	635	नमक	5 कि०ग्रा०
3	3/2015	29.3.2015	639	नमक	2 कि०ग्रा०
4	4/2015	1.4.2015	640	चावल	20 कि०ग्रा०
5	4/2015	4.4.2015	643	नमक	1 कि०ग्रा०
6	4/2015	5.4.2015	644	नमक	6 कि०ग्रा०
7	4/2015	6.4.2015	647	इमली	1 कि०ग्रा०
				नमक	2 कि०ग्रा०
				मिर्च पाउडर	100 ग्राम
8	9/2015	12.9.2015	663	माह	2 कि०ग्रा०
				तेल	2 ली०

				हल्दी	100 ग्रा0
				जीरा	100 ग्रा0
				धनिया	100 ग्रा0
9	1 / 2016	24.1.2016	669	काबली चने	5 कि0ग्रा0
				रिफाइन्ड	15 ली0
10	3 / 16	19.3.16	672	चावल	25 कि0ग्रा0
11	3 / 16	29.3.16	674	सफेद चने	8 कि0ग्रा0
12	10 / 16	6.10.16	685	आटा	10 कि0ग्रा0

(ख) लंगर राशन रजिस्टर में निम्न विवरणानुसार दर्शाई गई विभिन्न सामग्रियों/मदों के अन्तशेष की मात्रा को प्रारम्भिक शेष में जोड़ा नहीं गया, जिसे अब प्रारम्भिक शेष में जोड़कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	दिनांक	लंगर रजिस्टर पेज सं0 (Vol-I)	नाम सामग्री	अन्तशेष सामग्री मात्रा जो लंगर रजिस्टर में प्रारम्भिक शेष के साथ जोड़ी नहीं गई है
1	13.5.15	25	आलू	178 कि0ग्रा0
2	8.7.15	91	चीनी	53 कि0ग्रा0

20 रोकड़ बही को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित/हस्ताक्षरित न करना:—

मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ जी मन्दिर समूह शाहतलाई की रोकड़ बही दिनांक 1.2.2015 से 12.6.2015 तक सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी। आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा रोकड़ बही सत्यापित न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त उपरोक्त अवधि की रोकड़ बही को सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी से सत्यापित करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

21 स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन:—

अभिलेख की जाँच पर पाया गया कि न्यास के स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना नहीं की गई है, जबकि नियमानुसार स्टॉक/स्टोर में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। अतः न्यास द्वारा स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न

करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा प्रत्येक वर्ष स्टॉक/स्टोर में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन नियमों में अनुरूप करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

22 लघु आपत्ति विवरणिका:— यह अलग से जारी नहीं की गई।

23 निष्कर्ष:— लेखों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं0-0177-2620881

पृष्ठांकनसंख्या:—फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14) 199/99 खण्ड-5-1532-1536 दिनांक,
28.2.2018.शिमला-171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

- पंजीकृत:—**1. मन्दिर अधिकारी मन्दिर न्यास श्री बाबा बालक नाथ समूह शाहतलाई जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करे।
- 2 उपायुक्त एवं आयुक्त मन्दिर न्यास बिलासपुर
 - 3 निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग हि0प्र0 शिमला-9
 - 4 अवर सचिव (भाषा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
 - 5 उपमण्डलाधिकारी (ना0) एवं अध्यक्ष मन्दिर न्यास झण्डुता बिलासपुर

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं0-0177-2620881

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 30.6.1993 से 31.12.1998

1	पैरा-6 (ख)	अंशतः निर्णीत
2	पैरा-6 (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा-8 (2)	अनिर्णीत
4	पैरा-8 (5) (क)	अनिर्णीत
5	पैरा-8 (5) (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा-8 (5) (ग)	अनिर्णीत
7	पैरा-8 (6)	अनिर्णीत
8	पैरा-8 (8)	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2001 से 12/2002

1	पैरा-41	अनिर्णीत
---	---------	----------

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2003

1	पैरा-15	अनिर्णीत
2	पैरा-17 (1)	अनिर्णीत
3	पैरा-17 (2)	अनिर्णीत
4	पैरा-17 (3)	अनिर्णीत
5	पैरा-17 (4)	अनिर्णीत
6	पैरा-17 (5)	अनिर्णीत
7	पैरा-17 (6)	अनिर्णीत
8	पैरा-19 (1)	अनिर्णीत
9	पैरा-19 (2)	अनिर्णीत
10	पैरा-19 (3)	अनिर्णीत
11	पैरा-19 (4)	अनिर्णीत
12	पैरा-19 (5)	अनिर्णीत
13	पैरा-19 (6)	अनिर्णीत
14	पैरा-19 (7)	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2004

1	पैरा-18 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा-18 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा-18 (3)	अनिर्णीत
4	पैरा-18 (4)	अनिर्णीत
5	पैरा-22 (2)	अनिर्णीत
6	पैरा-22 (3)	अनिर्णीत
7	पैरा-24 (1)	अनिर्णीत
8	पैरा-24 (2)	अनिर्णीत
9	पैरा-24 (3)	अनिर्णीत
10	पैरा-24 (4)	अनिर्णीत
11	पैरा-24 (5)	अनिर्णीत
12	पैरा-29 (क) (1)	अनिर्णीत
13	पैरा-29 (क) (2)	अनिर्णीत
14	पैरा-29 (क) (3)	अनिर्णीत
15	पैरा-29 (क) (4)	अनिर्णीत
16	पैरा-29 (घ)(क) (1)	अनिर्णीत
17	पैरा-29 (घ)(क) (2)	अनिर्णीत
18	पैरा-29 (घ)(क) (3)	अनिर्णीत
19	पैरा-29 (घ)(ख) (1)	अनिर्णीत
20	पैरा-29 (घ)(ख) (2)	अनिर्णीत
21	पैरा-29 (घ)(ख) (3)	अनिर्णीत
22	पैरा-29 (च)	अनिर्णीत
23	पैरा-29 (छ)	अनिर्णीत
24	पैरा-29 (ज)	अनिर्णीत
25	पैरा-29 (झ)	अनिर्णीत
26	पैरा-29 (ण)	अनिर्णीत
27	पैरा-29 (प) (1)	अनिर्णीत
28	पैरा-29 (प) (2)	अनिर्णीत

29 पैरा-29 (प) (3) अनिर्णीत

30 पैरा-29 (प) (4) अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1 / 2005 से 12 / 2005

1 पैरा-5 अनिर्णीत

2 पैरा-10 अनिर्णीत

3 पैरा-18 (1) अनिर्णीत

4 पैरा-18 (2) अनिर्णीत

5 पैरा-20 (1) अनिर्णीत

6 पैरा-20 (2) अनिर्णीत

7 पैरा-20 (3) (1) अनिर्णीत

8 पैरा-22 अनिर्णीत

9 पैरा-26 (छ) अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1 / 2006 से 12 / 2007

1 पैरा-22 अनिर्णीत

2 पैरा-26 (6) अनिर्णीत

3 पैरा-26 (7) अनिर्णीत

4 पैरा-34 (1) अनिर्णीत

5 पैरा-34 (2) अनिर्णीत

6 पैरा-34 (3) अनिर्णीत

7 पैरा-35 (1) अनिर्णीत

8 पैरा-40 अनिर्णीत

9 पैरा-43 अनिर्णीत

11 पैरा-44 अनिर्णीत

12 पैरा-46 (1) अनिर्णीत

13 पैरा-47 अनिर्णीत

14 पैरा-48 (1) अनिर्णीत

15 पैरा-48 (2) अनिर्णीत

16 पैरा-49 अंशतः निर्णीत

17 पैरा-51 अनिर्णीत

18 पैरा-57 अनिर्णीत

19 पैरा-60 अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2008 से 12/2008

1 पैरा-5 अनिर्णीत

2 पैरा-14 (3) अनिर्णीत

3 पैरा-15 अनिर्णीत

4 पैरा-19 अनिर्णीत

5 पैरा-20 अनिर्णीत

6 पैरा-21 (1) अनिर्णीत

7 पैरा-21 (2) अनिर्णीत

8 पैरा-21 (3) अनिर्णीत

9 पैरा-21 (4) अनिर्णीत

10 पैरा-22 अनिर्णीत

11 पैरा-26 (1) अनिर्णीत

12 पैरा-26 (2) अनिर्णीत

13 पैरा-26 (3) अनिर्णीत

14 पैरा-27 अनिर्णीत

15 पैरा-28 अनिर्णीत

16 पैरा-31 अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2009 से 12/2009

1 पैरा-14 (2) अनिर्णीत

2 पैरा-16 अनिर्णीत

3 पैरा-17 (1) अनिर्णीत

4 पैरा-19 (1) अनिर्णीत

5 पैरा-19 (3)(1) अनिर्णीत

6 पैरा-19 (3)(2) अनिर्णीत

7 पैरा-19 (4) अनिर्णीत

8	पैरा-20	अनिर्णीत
9	पैरा-21	अनिर्णीत
10	पैरा-22 (2)	अनिर्णीत
11	पैरा-23	अनिर्णीत
12	पैरा-24 (3)	अनिर्णीत
13	पैरा-25	अनिर्णीत
14	पैरा-27	अनिर्णीत

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2010 से 31.12.2012

1	पैरा-6	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
2	पैरा-8	आंशिक निर्णीत	(दिनांक 13.7.2010 से 8.6.2011 तक दर्शाई गई विदेशी मुद्रा का विनिमय नहीं किया गया है)
3	पैरा-9 (ख)	स्वयं निर्णीत	(कण्डम नोट राशि दिनांक 17.2.2012 को दैनिक गणना रजिस्टर में दर्ज कर ली गई है)
4	पैरा-10	अनिर्णीत	
5	पैरा-13	अनिर्णीत	
6	पैरा-14	अनिर्णीत	
7	पैरा-15	अनिर्णीत	
8	पैरा-17	अनिर्णीत	
9	पैरा-18 (ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा-19	अनिर्णीत	
11	पैरा-20	अनिर्णीत	
12	पैरा-21	अनिर्णीत	
13	पैरा-22	अनिर्णीत	
14	पैरा-23	अनिर्णीत	
15	पैरा-24	अनिर्णीत	
16	पैरा-25	अनिर्णीत	
17	पैरा-26	अनिर्णीत	
18	पैरा-27	अनिर्णीत	
19	पैरा-28	अनिर्णीत	
20	पैरा-29	अनिर्णीत	
21	पैरा-30	अनिर्णीत	
22	पैरा-31	अनिर्णीत	

23	पैरा-32	अनिर्णीत
24	पैरा-33	अनिर्णीत
25	पैरा-34	अनिर्णीत
26	पैरा-35	अनिर्णीत
27	पैरा-36 (क) (ख) (ग) (घ) (ङ)	अनिर्णीत
28	पैरा-37 (ए) (बी) (सी)	अनिर्णीत
29	पैरा-38	अनिर्णीत
30	पैरा-39	अनिर्णीत
31	पैरा-40	अनिर्णीत
32	पैरा-41	अनिर्णीत
33	पैरा-44	अनिर्णीत
34	पैरा-47	अनिर्णीत
35	पैरा-49	अनिर्णीत
36	पैरा-50	अनिर्णीत
37	पैरा-51	अनिर्णीत
38	पैरा-52	अनिर्णीत
39	पैरा-53	अनिर्णीत

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014

1	पैरा-3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क ₹46000 चैक संख्या 422893 दिनांक 31.7.2015 द्वारा जमा कर दिया गया है)
2	पैरा-4 (क)	निर्णीत	(अपडेटिड)
3	पैरा-4 (ख)	निर्णीत	(अपडेटिड)
4	पैरा-5	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है)
5	पैरा-6 (क)	निर्णीत	(—यथोपरि—)
6	पैरा-6 (ख)	निर्णीत	(—यथोपरि—)
7	पैरा-7 क)	निर्णीत	(आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है)
8	पैरा-7 (ख)	निर्णीत	(विदेशी मुद्रा की सम्बन्धित रजिस्टर में प्रविष्टि कर ली गई है)
9	पैरा-8	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई है)
10	पैरा-9	अनिर्णीत	
11	पैरा-10	निर्णीत	(₹1800 दिनांक 14.6.2016 को रोकड़ बही पेज संख्या 219 में दर्ज करके बैंक में जमा कर दिये गये है)

12	पैरा-11	निर्णीत	(₹1927 दिनांक 14.6.2016 को रोकड़ बही पेज संख्या 219 में दर्ज करके बैंक में जमा कर दिये गये हैं)
13	पैरा-12	अनिर्णीत	
14	पैरा-13	अनिर्णीत	
15	पैरा-14	अनिर्णीत	
16	पैरा-15 (क)	अनिर्णीत	
17	पैरा-15 (ख)	निर्णीत	(₹282 दिनांक 29.8.2016 को रोकड़ बही पेज संख्या 229 में दर्ज करके बैंक में जमा कर दिये गये हैं)
18	पैरा-16	अनिर्णीत	
19	पैरा-17	निर्णीत	(₹1124 दिनांक 9.5.2016 को रोकड़ बही पेज संख्या 213 में दर्ज करके बैंक में जमा कर दिये गये हैं)
20	पैरा-18	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
21	पैरा-19	अनिर्णीत	
22	पैरा-20	अनिर्णीत	
23	पैरा-21	अनिर्णीत	
24	पैरा-22	अनिर्णीत	
25	पैरा-23	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
26	पैरा-24	निर्णीत	(₹250 दिनांक 14.6.2016 को रोकड़ बही पेज संख्या 219 में दर्ज करके बैंक में जमा कर दिये गये हैं)
27	पैरा-25	अनिर्णीत	
28	पैरा-26 (क)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
29	पैरा-26 (ख)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)